न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला- बारां

निर्णय अदालत श्रीमती मनीषा तिवारी RAS उपखण्ड अधिकारी द्वारा उद्घोषित

प्रकरण संख्या 22/019

दायर दिनांक 20/8/019

निर्णय दिनांक 14/12/020

उनवान

1- मोरपाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील छबड़ा जिला- बारां

बनाम

1- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला- बारां

निर्णय दिनांक

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र धारा 136 L.R.Act विरुद्ध अप्रार्थी के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम बावड़ीखेड़ा तह० छबड़ा के खाता संख्या 181/171 के ख०न० 264 रकबा 4.16 बीघा भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थी के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।

प्रार्थी के पिता का नाम मोरपाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावड़ीखेड़ा तहसील छबड़ा है जबकि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से प्रार्थी के पिता का नाम मोरपाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर मोरपाल पुत्र मकरलाल कर दिया गया है। जबकि [illegible] डी, आधार कार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम [illegible] पुत्र मथुरालाल दर्ज है जिसे दुरस्त करानी अति आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:55:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबड़ा को वास्ते दुरस्ती पेश किया गया परन्तु उनके द्वारा धारा 136 L.R.Act

के तहत अखण्ड कार्यालय प्रकरण तैयार कर पेश करने की हिदायत दी गई।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि नकल जमाबंदी खाता संख्या 181/177 की ख.न. 264 रकबा 4.16 बीघा भूमि वाके ग्राम बालडी खेड़ा तह० छबड़ा में राजस्व रिकार्ड में खातेदार मोरपाल पुत्र मकरलाल के स्थान पर मोरपाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बालडी खेड़ा करने का आदेश तहसीलदार छबड़ा को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार छबड़ा राज. सरकार की ओर से जवाब / रिपोर्ट दिनांक 5/8/20 को इस न्यायालय में पेश की गई। तहसीलदार छबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बालडी खेड़ा में मजमे आम में उपस्थित होकर मोरपाल पुत्र मथुरालाल की जाँच की गई। जहाँ पर उपस्थित मौतबीरान ने बताया कि मोरपाल के पिता का नाम मथुरालाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में गलती से मकरलाल दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। उक्त व्यक्ति के अलावा इस गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है मुताबिक रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 19/4/88 में श्री मोरपाल पुत्र मथुरालाल दर्ज था जिसका नामा० करण 435 दिनांक 9/8/1994 दर्ज हो चुका है जिसमें मोरपाल पुत्र मथुरालाल नाम दर्ज है जमाबंदी सम्वत 2048-2051 के खाता सं. 49 में भी प्रार्थी के पिता का नाम मथुरालाल सही दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी के [illegible] दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान पत्र [illegible] दर्ज है। अतः प्रार्थी के पिता के अशुद्ध नाम [illegible] के स्थान पर शुद्ध नाम मथुरालाल किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:55:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

राशनकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मोरपाल पुत्र मथुरालाल मीणा है। जिसे

तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम नमोरी तह० छबड़ा की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में खाता संख्या 181/177 में खातेदार मोरपाल पुत्र भवरलाल दर्ज रिकार्ड है। तथा राशन कार्ड एवं वोटर आई डी एवं आधार कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम मथुरालाल दर्ज रिकार्ड होना पाया जाता है।

मुताबिक तहसील छबड़ा की रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी के पिता के नाम भवरलाल के स्थान पर भवरलाल उर्फ मथुरालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम बकडीखेड़ा तह० छबड़ा में स्थित भूमि खाता संख्या 181/177 के ख.न. 264 रकबा 4.16 बीघा भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम भवरलाल के स्थान पर भवरलाल उर्फ मथुरा लाल खाते में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/12/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

मनीषा तिवारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
छबड़ा जिला-बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:55:06 IST
Reason: SelfAttested

राशनकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मोरपाल पुत्र मथुरालाल मीणा है। जिसे